न्यायालय नायब तहसीलदार राजगढ़ जिला अलवर (राज0)

प्रकरण सं0 16/2021 तारीख दायर :–11.08.2021 दिनांक निर्णय :–08.09.2021

1.सरकार जरिये पटवारी हल्का राजपुर बड़ा तहसील राजगढ़ जिला अलवर

बनाम

1.कजोड़ पुत्र रामजीलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम राजपुर बड़ा तहसील राजगढ़(अलवर)
2.तेजराम पुत्र श्रीयाराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम राजपुर बड़ा तहसील राजगढ़(अलवर)
3.विश्राम पुत्र श्रीयाराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम राजपुर बड़ा तहसील राजगढ़(अलवर)
4.पांचूराम पुत्र बीरबल जाति गुर्जर निवासी ग्राम राजपुर बड़ा तहसील राजगढ़(अलवर)
5.रामवतार पुत्र बीरबल जाति गुर्जर निवासी ग्राम राजपुर बड़ा तहसील राजगढ़(अलवर)

अन्तर्गत धारा राजस्थान भू0 राजस्व
अधिनियम 1956 की धारा 91

आज पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थीगण अनुपस्थित है। पत्रावली का अवलोकन किया गया, अप्रार्थीगण द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करने पर पटवारी हल्का राजपुर बड़ा द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिससे अप्रार्थीगण का अतिक्रमण सिद्ध होता है। जिस पर विधिक उपाबन्धानुसार राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत अप्रार्थी को सुनवाई हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा दिनांक 24.08.2021 को नोटिस जवाब पेश किया जिसमें अतिक्रमण 7 दिवस में हटाने का निवेदन किया गया है। लेकिन आज तक नहीं हटाया गया है। उक्त आराजी पर बाजारे की फसल बोई हुई है जिसका कटाई का समय अभी नहीं है। इसलिए अप्रार्थी उक्त फसल का लाभ लेना चाहता है। अप्रार्थी की मंशा अतिक्रमण को कायम रखने की प्रतित होती है। चूँकी रिपोर्ट पटवारी हल्का राजपुर बड़ा के अनुसार राजकीय भूमि पर अप्रार्थी द्वारा अनाधिकृत रूप से सम्वत 2078 में बाजरे की फसल बोकर अतिक्रमण किया गया है। अतिक्रमी काबिल बेदखली है।

अतः आदेश है किः– अतिक्रमी श्री कजोड़ पुत्र रामजीलाल, तेजाराम, विश्राम पुत्र श्रीयाराम, पांचूराम रामवतार पुत्रान बीरबल जाति गुर्जर निवासी ग्राम राजपुर बड़ा को आराजी ख0न0 1521/0.19, 1522/0.18, 1523/0.25 में से रकबा 0.15 हे0 किस्म गैर मु0 नाला सिवायचक वाके ग्राम राजपुर बड़ा से बेदखल किये जाने के आदेश पारित किया जाता है, तथा सरह लगान 0.30 की 50 गुणा में मु0 15.00/–रूपये पेनल्टी अधिरोपित की जाती है। तहसील राजस्व लेखाकार राजगढ़ को पेनल्टी एवं फसल नीलामी राशि की कायमी व पटवारी को पालनार्थ लिखा जावें। अतिक्रमी को भौतिकरूप से मौके से बेदखली हेतु गिरदावर कानूनगों/पटवारी हल्का राजपुर बड़ा को आदेश दिये जाते है कि अतिक्रमी को भौतिकरूप से बेदखल कर एवं फसल कब्जे राज को नीलामी कर पालना रिपोर्ट मय घटना बही की रिपोर्ट सहित पालना प्रस्तुत करे। आज दिनांक 08.09.2021 को निर्णय लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनवा या गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

रा. ले. स. 4 वर्ष 2021-22
के पृष्ठ संख्या 10 पर
राशि कायम किये गये।
त. रा. लेखाकार

नायब तहसीलदार
राजगढ़ जिला अलवर